राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9.2.2010 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 9.2.2010 को हुआ जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास
4. शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग
5. शासन सचिव, सा0नि0 विभाग

बैठक में एजेण्डा में सम्मिलित बिन्दुओं पर चर्चा हुई तथा निम्न निर्णय लिये गये–

1 राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आपातकालीन/जीवन रक्षक उपकरण क्रय किये जाने की 6.00 करोड़ रूपये की पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक 15726 दिनांक 30.10.09 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। **इन पर होने वाला आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।**

2. राज्य में स्वाईन फ्लू वायरस एच–1, एन–1 के परीक्षण के लिए सम्भागीय मुख्यालयों के मेडिकल महाविद्यालयों, क्रमशः अजमेर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर के लए 200.00 लाख रूपये में प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने की पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक 16173–79 दिनांक 10.11.09 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। **इन पर होने वाला आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।**

3. जोधपुर में स्वाईन फ्लू के वायरस एच–1, एन–1 के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के लिए उपकरण क्रय हेतु 50.00 लाख रूपये की पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक 9191–97 दिनांक 11.12.09 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय हेतु स्वाईन फ्लू परीक्षण लेब के लिए हाई फिक्वेन्सी वेन्टीलेटर, राशि 15.00 लाख रूपये एवं इक्यूनो एनलाईजर, राशि 16.00 लाख रूपये कुल 31.00 लाख रूपये की स्वीकृति भी प्रदान की गयी। **इन पर होने वाला आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।**

4. राज्य के 23 जिलों के 25 चिकित्सा संस्थानों हेतु सर्च एवं रेस्क्यू उपकरण क्रय किये जाने की 10.24 करोड़ रूपये की पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक 19335–41 दिनांक 14.12.09 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। **इन पर होने वाला आवर्ती व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।**

5. **अभाव संवत 2066 में** वृद्ध, असहाय एवं निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता को, भीषण अकाल के अन्तर्गत सी.आर.एफ. नॉर्म्स् के अनुसार प्रारम्भ की स्वीकृत अवधि (60) को 180 दिवस तक बढाये जाने के आदेशों क्रमशः क्रमांक 19829–52 दिनांक 18.12.09 एवं क्रमांक 2175–202 दिनांक 27.1.2010 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही पूर्व में स्वीकृत की गयी 180 दिन की अवधि को फिलहाल 31 मार्च, 2010 तक ही बढ़ाये जाने का भी निर्णय लिया गया।

6. दौसा जिले हेतु 2 एम्बूलेन्स मय उपकरण तथा 3 नगरपालिकाओं के लिए 3 दमकल क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से उक्त वाहनों की आवश्यकता /औचित्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाए। साथ ही एम्बूलेन्स की आवश्यकता सर्वप्रथम 108 सेवा के माध्यम से पूरी की जावे। उसके बाद भी जरूरत बचे, तो औचित्य के साथ प्रस्ताव भेजे जावें।

7. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस(आयोजना एवं कल्याण) राजस्थान, जयपुर के आरएसी की 3 कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलवाने के लिए उपकरण क्रय करने के 3.90 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (आयोजना एवं कल्याण) से क्रय हेतु प्रस्तावित उपकरणों एवं प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण प्राप्त किया जावे। साथ ही इस सम्बन्ध में एस डी आर एफ के गठन की कार्यवाही के सम्बन्ध में होने वाली बैठक में भी विचार किया जावे। उसके पश्चात भी आवश्यकता होने पर राज्य कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखे।

8. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा 5 सम्भागीय मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वाईन फ्लू परीक्षण सुविधा प्रारम्भ करने हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि 2.40 करोड़ रूपये के अतिरिक्त 205.95 लाख की अन्तर राशि एवं पूर्व में स्वीकृत राशि के व्यय में ही कर राशि के रूप में अतिरिक्त 51.00 लाख रूपये कुल 256.95 लाख रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गयी। **इन पर होने वाला आवर्ति व्यय संबंधित विभाग के स्तर से वहन किया जाएगा।**

9. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जोधपुर नगर निगम को एक हाईड्रोलिक प्लेटफार्म (स्नोरगल) अनुमानित लागत 5 करोड़ रूपये एवं एक जीप फायर इंजन अनुमानित लागत 20.00 लाख रूपये के उपकरण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को फिलहाल लंबित रखने का निर्णय लिया गया। समान उपकरण का क्रय जयपुर नगर निगम में प्रक्रियाधीन है। इसका क्रय हो जाने के उपरांत ही यह प्रकरण पुनः विचारार्थ रखा जावे।

10. पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्यो हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रस्ताव में इस वित्तीय वर्ष (2009–10) के लिए आधारभूत सुविधा विकास/सुदृढ़ीकरण हेतु 7.05 लाख एवं प्रशिक्षण हेतु 1.20 लाख इस प्रकार कुल 8.25 लाख रूपये स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

11. राज्य में निकट भविष्य में सम्भावित जल संकट के मद्देनजर आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से जल प्रबन्धन के लिये स्थायी नीति तैयार करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से एक कार्यशाला आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया। यह कार्यशाला यथासम्भव जोधपुर में आयोजित करायी जाए।

12. अभावग्रस्त 27 जिलों में पेयजल व्यवस्था हेतु हेण्डपम्प लगाने एवं वर्तमान ट्यूबवैल्स को गहरा करने के लिए जिला कलक्टर्स से चर्चा उपरान्त प्रेषित 5600 लाख रूपये के जन स्वास्थ्य अभियांत्रकी विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

13. अभावग्रस्त 27 जिलों में मौसमी बीमारियों व अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए 6.00 करोड़ रूपये के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार से प्राप्त NCCF मद की स्वीकृति के तहत उपलब्ध बजट प्रावधान से, स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

14. कोटा जिले में वर्ष 2009 में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर हुए खर्च राशि 190.25 लाख रूपये एवं राष्ट्रीय राज मार्ग, सा.नि.वि.(पथ) कोटा हेतु 58.59 लाख रूपये तथा अजमेर में राशि 45.42 लाख रूपये के भुगतान के सम्बन्ध में विचार किया गया। प्रस्ताव CRF नोर्म्स के तहत नहीं पाया गया। विभाग अपने स्तर पर पत्रावली पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

शासन उप सचिव
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.1(1)(5) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/07/ 3274-83 जयपुर, दिनांक 12-2-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
2. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, वित्त
3. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास
5. निजी सचिव,शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग
6. निजी सचिव,शासन सचिव, सा0नि0 विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
8. निजी सचिव, सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
9. समस्त अधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. आपदा प्रबन्धन शाखा/चारा शाखा/बाढ़ शाखा/प्रशिक्षण शाखा/पेयजल शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग